

प्रारूप-11

परियोजना का नाम- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 246/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में किराणु- धुनियारा- थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

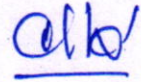
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।)

विस्तृत आख्या

उपरोक्त मोटर मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 शासनादेश सं0 5927/।।। (2)/13-31 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 22 नवम्बर 2013 द्वारा रू0 52.50 लाख की प्राप्त है। यह मोटर मार्ग टिकोची दुचाणु किराणु सिरतोली मोटर मार्ग के कि0मी0 9 से प्रारम्भ होकर थौरिण्डाधार तक मोटर मार्ग आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा।

उक्त मोटर मार्ग के समरेखण की प्रस्तावित वास्तविक लम्बाई 4.450 कि0मी0 है, जिससे ग्राम किराणु एवं थौरिण्डाधार पूर्ण रूप से मोटर मार्ग से जुड़ जायेंगे। यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मोटर मार्ग के अभाव में स्थानीय कास्तकारों एवं ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं हेतु लम्बी दूरी पैदल तय करनी होती है। इस क्षेत्र में नगदी फसलों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है, मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात ग्रामीण अपनी नगदी फसलों को कम ढुलान दरों पर सुगमता पूर्वक स्थानीय मण्डियों में विपणन हेतु पहुँचा पायेंगे जिससे क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.533 है0 आरक्षित एवं सिविल सोयम वनभूमि की आवश्यकता होगी जिसका हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है।



(सी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला